



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49344

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3372 वर्ष 2026

भरत सिंह

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : हरीश चंद्र

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चंद्र और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद सिंह को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद सिंह ने यह वक्तव्य दिया है कि उनके पास पर्याप्त अनुदेश हैं और वह मामले में बहस करने की स्थिति में हैं। वह कोई प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और वह आगे निवेदन करते हैं कि रिट याचिका का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय फ्रेश (प्रारंभिक) प्रक्रम पर किया जा रहा है।
4. रिट याची का मामला यह है कि उसे 27.08.2008 को सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था, तथापि, 03.10.2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध संख्या 349 वर्ष 2012 के रूप में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी। रिट याची को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गिरफ्तार किया गया था और 03.03.2015 को रिट याची को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 09.04.2015 को रिट याची को सेवा में बहाल कर दिया गया था, परंतु 09.02.2015 से 03.03.2015 तक के वेतन का भुगतान निलंबित रहा और नहीं किया गया। 09.04.2015 को जिला पंचायत राज अधिकारी, अमरोहा द्वारा निलंबन अवधि के लिए वेतन के भुगतान से इनकार करते हुए एक आदेश पारित किया गया था।

5. उसी पर प्रश्न उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
6. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वह आपराधिक मामला, जिसके अनुसरण में रिट याची को निलंबित कर दिया गया था और गिरफ्तार किया गया था, उसका परिणाम 25.11.2022 को सत्र परीक्षण संख्या 119 वर्ष 2015, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुकेश और अन्य में दोषमुक्ति के रूप में हुआ। इस प्रकार प्रश्नागत आदेश पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।
7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गया प्रसाद सिंह निवेदन करते हैं कि जो भी हो, जिस तिथि को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दिनांक 09.04.2015 का आदेश पारित किया गया था, उस समय दोषमुक्ति का कोई आदेश नहीं था। तथापि, उनके अनुसार, मामले पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।
8. मैंने बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदनों को सुना है और पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।
9. तथ्य कोई मुद्दा नहीं हैं। यह विवाद का विषय नहीं है कि रिट याची को इस आधार पर निलंबित कर दिया गया था कि उसे एक आपराधिक मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था, जिसका परिणाम दोषमुक्ति के रूप में हुआ है। चूंकि निलंबन अवधि के लिए वेतन से इनकार करने वाला आदेश 09.04.2015 को पारित किया गया था और अब, रिट याची को 25.11.2022 को उक्त आपराधिक मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है, इस प्रकार बाद की घटनाओं से उत्पन्न होने के कारण, मामले पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।
10. तदनुसार, रिट याची को प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, जो तत्पश्चात दोषमुक्ति आदेश के प्रकाश में मामले पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पुनर्विचार करेगा और रिट-ए संख्या 11555 वर्ष 2021, अनिल कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिसका निर्णय 13.03.2014 को हुआ, के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए दो माह की अवधि के भीतर एक समुचित आदेश पारित करेगा।

11 मार्च, 2026

एन. एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।